राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक :– एफ. 11(10) एनएचएम/भण्डार/मासिक वाहन/2015/ 2444 दिनांक :– 29/7/15

मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने हेतु दर आमंत्रण सूचना

नेशनल हैल्थ मिशन में मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने के प्रयोजनार्थ 01 वर्ष की दर संविदा करने हेतु पंजीकृत फर्मों से दरें आमंत्रित की जाती है। दरें दिनांक 20.08.15 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कमरा नं0 222, द्वितीय तल स्वास्थ्य भवन, जयपुर में जमा कराई जा सकती है, जो उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित दर प्रस्तुत कर्ताओं के समक्ष खोली जावेंगी।

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि रूपये (वार्षिक)
1.	मासिक किराये के आधार पर वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में	3000000/–

दरें मुहरबन्द लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से "मासिक किराये के आधार पर वाहन लेने हेतु" निविदा लिखा होना चाहिए। दर आमंत्रण सूचना स्वास्थ्य भवन की विभागीय वेबसाईट www. rajswasthaya.nic.in & http://spp.raj.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अतिरिक्त मिशन निदेशक
एन.एच.एम.

क्रमांक :– एफ. 11(10) एनएचएम/भण्डार/मासिक वाहन/2015/ दिनांक :–

प्रतिलिप :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु

01. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक एनएचएम।
02. निदेशक वित्त एनएचएम।
03. मैनेजर, यातायात यूनिट, राजस्थान टूरिज्म डवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, खासा कोठी जयपुर
04. मै0 बालाजी टयूर्स, डी–18, विजयविहार कालोनी नया खेडा, अम्बावाडी जयपुर।
05. मै0 गुरू जम्भेश्वर टयूर एण्ड ट्रेवल्स, बी–109, जयपुर नगर निगम के सामने, लाल कोठी टोंक रोड जयपुर।
06. मै0 वंशिका टयूर एण्ड टेवल्र्स, बी–17,ए पृथ्वी नगर, नया खेडा, विधाधर नगर जयपुर।
07. मै0 नीलम टयूर प्लानर्स, जी–68, अग्रसेन टावर, सैन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर जयपुर।
08. मै0 नेशनल टयूर प्लानर्स, 13, राजेन्द्र नगर ए दादी का फाटक जयपुर।
09. मै0 खुशी टयूर प्लानर्स, धनश्री फर्स्ट, सैन्ट्रल स्पाईन विधाधर नगर, जयपुर।
10. मै0 नैनवा टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, स्वर्ण पथ, मानसरोवर जयपुर।
11. मै0 कार्तिकेय टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, 47, विनय विहार, खिरणी फाटक जयपुर।
12. मै0 पूजा टयूर एण्ड ट्रेवल्र्स, 178, राम नगर सोडाला जयपुर।
13. सलाहकार आईटी को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट www. rajswasthaya. nic.in & http://spp.raj.nic.in पर आवश्यक रूप से अपलोड करावें।

संयुक्त निदेशक (वित्त),
एन.आर.एच.एम.

निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक:– 20.08.2015
निविदा प्रस्तुत करने का समय :– दोप. 3.00 बजे तक

परिशिष्ठ – अ

मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसाईटी, जयपुर

(I) मासिक किराये के आधार पर वाहन किराये पर लेने की मासिक दरें :–

वाहन का नाम (मेक सहित) डीजल कार (1 जनवरी 2010 के बाद का मॉडल)	न्यूनतम 1500 कि.मी. की प्रतिमाह दर मय सर्विस टैक्स इत्यादी		न्यूनतम 1500 कि.मी. के अतिरिक्त के लिए प्रति0कि0 की दर मय सर्विस टैक्स इत्यादि	
	अंको में	शब्दों में	अंको में	शब्दों में
Indica or Equilent				
Indigo or Equilent				
Bolero				

1. उक्त समस्त प्रकार के वाहनों की संख्या 15 से 20 प्रतिमाह होना संभावित है, लेकिन आवश्यकता होने पर संख्या धटाई या बढाई जा सकती है।
2. समस्त प्रकार की दरें सर्विस टैक्स एवं अन्य टैक्स इत्यादि सहित दी जावे।
3. वाहन को आवश्यकतानुसार कभी भी जयपुर से बाहर भेजा जा सकता है, इस हेतु पार्किंग, टोलटैक्स, इन्टरस्टेट टैक्स ईत्यादि का भुगतान रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से देय होगा।
4. वाहन प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे अथवा अधिकारी द्वारा सूचित किये गये समय पर अधिकारी के पास भिजवाना होगा तथा डयूटी अधिकारी के द्वारा सूचित समय उपरान्त समाप्त मानी जावेगी।
5. राजपत्रित अवकाशों के दिन भी आवश्यकता होने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा, जिसका कोई अतिरिक्त चार्ज नही दिया जावेगा।
6. वाहन के खराब होने की स्थिती में वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
7. वाहन चालक के पास मोबाईल फोन होना अतिआवश्यक है, तथा फोन की कनेक्टिवीटी 24 धण्टे चालू रखनी होगी। साथ ही वाहन चालक के पास वैध लाईसेन्स होना आवश्यक है, जिसकी प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।
8. जयपुर मुख्यालय के बाहर रात्रि विश्राम करने पर स्वीकृत दर के अतिरिक्त 200 रूपये प्रति रात्रि विश्राम चार्जेज देय होगा।
9. निविदा मूल्यांकन के लिये यह माना जावेगा कि वाहन न्युनतम प्रतिमाह 1500 कि0मी0 तक चलेगा।
10. विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को होगा।
11. अनुबंधित वाहन के किसी भी प्रकार की टूटफूट या दुर्घटना अथवा चालान होने पर जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। इसका उत्तरादायित्व वाहन मालिक का ही होगा।
12. वाहन के किलोमीटर की रिडिंग आदि सूचना लॉग बुक Duty Slip में प्रतिदिन अंकित की जावेगी। यात्रा समाप्ति पर संबंधित प्रयोग करने वाले अधिकारी के, कुल किलोमीटर वाहन का प्रयोग किया गया है के सत्यापन का हस्ताक्षर मय नाम एवं पद कराने होगें।

13. वाहन के साथ हर समय पंजीयन/रोड़ टैक्स/फिटनेस प्रमाण पत्र, Comprehensive बीमा, प्रदूषण एवं आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है। वाहन टैक्सी परमिट का ही होना चाहिए।
14. फर्म के द्वारा संस्थान अथवा निर्दिष्ट स्थान पर वाहन मंगवाये जाने पर वाहन के किलोमीटर की गणना सम्बंधित राजकीय कार्यालय से ही मान्य होगी तथा यात्रा समाप्ति उपरान्त भी अंतिम गन्तवय स्थान तक ही गणना मान्य होगी।
15. किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा।
16. वाहन चालक को विभिन्न कानूनों नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधायें निविदाकार द्वारा स्वंय के स्तर पर उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कोई दायित्व नहीं होगा।
17. वाहन चालक की किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का समस्त भार निविदादाता द्वारा ही वहन किया जावेगा। मिशन इसके लिए किसी भी प्रकार से सहयोगी एवं जिम्मेदार नहीं होगा।
18. किसी भी दावे का भुगतान नियमानुसार सर्विस टैक्स/आयकर अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा दायी हो, की कटौती के पश्चात् ही किया जावेगा।
19. समस्त कानूनी कार्यवाही यदि किसी भी पक्ष द्वारा किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालयों में ही होगी अन्य स्थान पर नही।

दिनांक :– ....2015 **हस्ताक्षर निविदादाता**